रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शनिवार, 1 मई, 1976

वैशाख 11, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1846/17-वि0-1--67-1976

लखनऊ, 1 मई, 1976

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय, ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) विधेयक, 1976 पर दिनांक 1 मई, 1976 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) अधिनियम, 1976

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या, 18, 1976)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

विधि विरुद्ध संगठनों या उनके सदस्यों या समर्थकों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चलाई जाने वाली शिक्षा संस्थाओं के प्रबन्ध को, लोक-हित में, अपने हाथ में लेने की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

चूंकि केन्द्रीय सरकार के आदेश संख्या एस0ओ0-306 (ई), दिनांक 3 जुलाई, 1975 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि कतिपय संगठनों पर जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नामक संगठन भी सम्मिलित है, डिफेन्स ऐण्ड इन्टरनल सिक्यूरिटी आफ इंडिया रूल्स, 1971 का नियम 33 लागू होगा;

और चूंकि यह विदित है कि उक्त संगठन अर्थात् राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या उसके सदस्य या समर्थक अनुसूची में विनिर्दिष्ट शिक्षा संस्थायें, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, चला रहे हैं;

और चूंकि उक्त संगठन और उससे सम्बन्धित व्यक्तियों, स्थानों और निधियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप उक्त संस्थाओं के प्रबन्ध में व्यवधान पड़ गया था और इस बात की आशंका थी कि उक्त शिक्षा संस्थाओं के लगातार चलते रहने में व्यवधान पड़ने की सम्भावना है;

और चूंकि उक्त शिक्षा संस्थाओं में उचित रूप से शिक्षा दिये जाने को बनाये रखने और उक्त संस्था की विचारधारा से उन्हें दूषित न होने देने की दृष्टि से राज्य सरकार ने, अपने अधिकारियों के माध्यम से, जुलाई, 1975 के पश्चात् विभिन्न दिनांकों को, उक्त शिक्षा संस्थाओं का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया;

और चूंकि उक्त शिक्षा संस्थाओं में, इस प्रकार उनके प्रबन्ध को हाथ में लिये जाने के पूर्व, दी जाने वाली औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा उनमें पढ़ने वाले बच्चों को गुमराह करने वाली और उनके संवेदनशील मस्तिष्क में साम्प्रदायिकता की भावना पैदा करने वाली थी, और इस बात की आशंका है कि यदि ऐसी शिक्षा को जारी रखने की अनुज्ञा दी जाती है तो वह भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच ऐक्य बनाये रखने के प्रतिकूल हो सकती है और उनमें भावनात्मक एकीकरण की प्रक्रिया मन्द हो जायगी;

और चूंकि इस बात की आशंका है कि अन्य संगठन जिन पर डिफेन्स ऐण्ड इंटर्नल सिक्यूरिटी आफ इंडिया रूल्स, 1971 का उक्त नियम 33 लागू होता है, या उनके सदस्य या समर्थक भी ऐसी शिक्षा संस्थायें चलाते हुए पाये जायें, जिनमें दी जाने वाली औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा उनमें पढ़ने वाले बच्चों को उसी प्रकार गुमराह करे और उनके संवेदनशील मस्तिष्क में धर्मनिरपेक्षता के और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच भावनात्मक एकीकरण के राष्ट्रीय उद्देश्यों के प्रतिकूल भावना पैदा करें ।

और चूंकि तदनुसार यह लोक-हित में है कि अस्थायी अवधि क लिए उपर्युक्त शिक्षा संस्थाओं का प्रबन्ध हाथ में ले लिया जाय ;

अतः भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) अधिनियम, 1976 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह 28 फरवरी, 1976 से प्रवृत्त समझा जायगा ।

परिभाषाएं

2—इस अधिनियम में:—

(क) "नियत दिनांक" का तात्पर्य,—

(एक) अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी शिक्षा संस्था के सम्बन्ध में, प्रारम्भ में, इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से है;

(दो) किसी ऐसी शिक्षा संस्था के सम्बन्ध में जिसे बाद में धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, गजट में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से है;

(ख) "अनुसूचित संस्था" का तात्पर्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट शिक्षा संस्था से है, जो ऐसी संस्था है जिसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से,—

(एक) राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नामक संगठन या उसके सदस्यों या समर्थकों द्वारा, चाहे शिशु शिक्षा प्रबन्ध समिति, उत्तर प्रदेश नामक सोसाइटी के माध्यम से या किसी अन्य सोसाइटी या निकाय के माध्यम से, या

(दो) किसी अन्य संगठन द्वारा जिस पर तत्समय डिफेन्स एन्ड इन्टरनल सिक्यूरिटी आफ इंडिया रूल्स, 1971 का नियम 33 लागू होता है, या उसके सदस्यों या समर्थकों द्वारा,

चलाया जा रहा था या भविष्य में पाया जाय कि चलाया जा रहा है ।

अनुसूचित संस्थाओं का प्रबन्ध राज्य सरकार में निहित होगा

3—(1) नियत दिनांक को और से सभी अनुसूचित संस्थाओं का प्रबन्ध उस दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार में निहित होगा :

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उपर्युक्त अवधि को एक बार में एक वर्ष या कम समय के लिए बढ़ा सकती है, किन्तु इस प्रकार बढ़ाई गयी कुल अवधि का योग दो वर्ष से अधिक नहीं होगा ।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में कोई अन्य शिक्षा संस्था सम्मिलित कर सकती है जिसके सम्बन्ध में उसका यह समाधान हो जाय कि उसे, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा या किसी अन्य संगठन द्वारा जिस पर उस समय डिफेन्स ऐन्ड इन्टरनल सिक्यूरिटी आफ इंडिया रूल्स, 1971 का नियम 33 लागू होता हो, या उनके सदस्यों या समर्थकों द्वारा चलाया जाता है और गजट में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर अनुसूची को तदनुसार संशोधित समझा जायगा ।

(3) ऐसी अनुसूचित संस्थाओं की स्थिति में जिनका प्रबन्ध डिफेन्स एण्ड इन्टरनल सिक्यूरिटी आफ इंडिया रूल्स, 1971 के अधीन निर्गत या निर्गत के रूप में तात्पर्यित किसी आदेश के अनुसरण में इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक या किसी अन्य अधिकारी द्वारा हाथ में ले लिया गया हो, यह समझा जायगा कि उसे उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन लिया गया है और ऐसी अनुसूचित संस्थाओं का प्रबन्ध इस धारा के अधीन राज्य सरकार में निहित समझा जायगा मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था :

परन्तु 28 फरवरी, 1976 के पूर्व राज्य सरकार में संस्थाओं का प्रबन्ध जिस अवधि में इस प्रकार निहित था, वह अवधि ऐसे दिनांक से एक वर्ष की अवधि और उपधारा (1) में उल्लिखित वृद्धि की अधिकतम अवधि के अतिरिक्त होगी।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात्, सम्बद्ध संस्था का प्रबन्ध उस सोसाइटी या अन्य निकाय को प्रत्यावर्तित हो जायेगा जिससे संस्था का प्रबन्ध लिया गया था :

परन्तु राज्य सरकार ऐसी संस्था का प्रबन्ध ऐसे निकाय को देने के पूर्व अपेक्षा कर सकती है कि ऐसे निकाय के सदस्य ऐसी कार्यवाही, जैसी विनिर्दिष्ट की जाय, जिसके अन्तर्गत, यदि आवश्यक हो, उसके शासी निकाय का पुनर्गठन भी है, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से करेंगे कि ऐसे प्रत्यावर्तन के पश्चात् शिक्षा संस्था में जो शिक्षा दी जायगी वह धर्म निरपेक्षता के राष्ट्रीय उद्देश्यों और विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के बीच भावनात्मक एकीकरण के अनुरूप होगी।

(5) शंकाओं के निवारण के लिए एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि किसी प्रकार का कोई प्रतिकर या कोई अन्य राशि ऐसी सोसाइटी या अन्य निकाय को, जिसकी कोई अनुसूचित संस्था हो, उसके ऐसे प्रबन्ध के सम्बन्ध में जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उपर्युक्त अस्थायी अवधि के लिए राज्य सरकार के पास रहे, देय नहीं होगी।

जिला विद्यालय निरीक्षक या किसी अन्य अधिकारी को अनुसूचित संस्था का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिए प्राधिकृत करने की राज्य सरकार की शक्ति

4—(1) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जिला विद्यालय निरीक्षक या किसी अन्य अधिकारी को (जिसे यहां आगे "प्राधिकृत अधिकारी" कहा गया है) किसी अनुसूचित संस्था का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिए प्राधिकृत कर सकती है, और इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी राज्य सरकार के अधीक्षण और निदेश में ऐसी संस्था का प्रबन्ध करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश निर्गत किये जाने पर, अनुसूचित संस्था के प्रबन्ध का प्रभार प्राधिकृत अधिकारी में निहित होगा, और ऐसे आदेश के निर्गत होने के ठीक पूर्व ऐसी अनुसूचित संस्था के प्रबन्ध के प्रभारी समस्त व्यक्ति ऐसे प्रबन्ध के प्रभारी नहीं रहेंगे और वे अपनी अभिरक्षा में ऐसी संस्था से सम्बद्ध समस्त आस्तियां, लेखा-बही, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज प्राधिकृत अधिकारी को देने और उसके सम्बन्ध में उसके द्वारा निर्गत किसी अन्य निदेश का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे :

परन्तु यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व किसी अनुसूचित संस्था का प्रबन्ध पहले से ही जिला विद्यालय निरीक्षक या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी के पास हो तो यह समझा जायगा कि वह इस धारा के अधीन ऐसे अधिकारी में इस प्रकार निहित हो गयी है मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था और ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत था।

(3) विशेषतः, और उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रबन्ध की शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकृत अधिकारी को अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करने और उनकी सेवा समाप्त करने की शक्ति, और अनुसूचित संस्था के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के विषय में अनुशासनिक शक्ति भी होगी, जिसमें उनको पदच्युत या निलम्बित करने की शक्ति, अनुसूचित संस्था से आसन्न या विन्यासित सम्पत्तियों का प्रबन्ध करने की शक्ति, अनुसूचित संस्था के बैंक लेखा को चलाने की शक्ति, और अनुसूचित संस्था के छात्रों से फीस वसूल करने की शक्ति भी सम्मिलित है।

शास्तियां

5—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्:—

(क) प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे प्रबन्ध के सम्बन्ध में जिसके लिए ऐसा अधिकारी प्राधिकृत किया गया है, अनुसूचित संस्था से सम्बद्ध अपनी अभिरक्षा की कोई आस्ति, लेखा-बही, रजिस्टर या कोई अन्य दस्तावेज देने में असफल रहता है, या

(ख) ऐसी अनुसूचित संस्था की किसी सम्पत्ति को रखे रहे या उसे हटाता या नष्ट करता है, या

(ग) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत किसी निदेश का अनुपालन नहीं करता है,

तो वह ऐसी अवधि के लिए जो तीन वर्ष तक हो सकती है, कारावास से या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

अध्यापकों की नियुक्ति समाप्त करना

6—(1) किसी अन्य विधि या किसी संविदा या अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि किसी अनुसूचित संस्था के किसी अध्यापक का सेवा में पूर्ववत बना रहना, इस अधिनियम के प्रयोजनों के प्रतिकूल है तो वह, किसी समय, कोई कारण दिये बिना, नोटिस द्वारा उसकी सेवा समाप्त कर सकती है।

(2) ऐसी नोटिस की अवधि तीन मास या उस अध्यापक पर लागू सेवा की शर्तों में, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट अवधि, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु किसी ऐसे अध्यापक की सेवा ऐसे नोटिस के बिना या अपेक्षाकृत अल्प नोटिस पर समाप्त की जा सकती है और ऐसी समाप्ति पर अध्यापक, यथास्थिति, नोटिस की अवधि के लिये या नोटिस तीन महीने से जितनी कम हो, उतनी अवधि के लिये अपने वेतन और भत्ते की, यदि कोई हो, उस दर पर, जिस पर उसे ऐसी समाप्ति के ठीक पूर्व पा रहा था, राशि के बराबर धनराशि की मांग अनुसूचित संस्था से करने का हकदार होगा।

(3) राज्य सरकार आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि उपधारा (1) द्वारा उसे प्रदत्त शक्ति का, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जैसी निदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, प्रयोग या निर्वहन इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किया जायगा।

(4) किसी अनुसूचित संस्था के अध्यापक या अन्य कर्मचारी की सेवा की समाप्ति का कोई आदेश जो अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया या दिया गया तात्पर्यित हो, उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा सम्यक् रूप से दिया गया समझा जायगा मानों वह उपधारा (2) के अधीन दिये गये आदेश द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत था, और उसे विधिमान्य समझा जायगा, भले ही उपधारा (1) या उपधारा (2) में उपबन्धित नोटिस न दी गयी हो और भले ही कोई अन्य औपचारिक त्रुटि हो :

परन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यापक या अन्य कर्मचारी जिसकी सेवा इस प्रकार समाप्त की जाय, अनुसूचित संस्था से उपधारा (2) में उल्लिखित धनराशि की मांग करने का हकदार होगा।

सद्भावना से की गयी कार्यवाही का संरक्षण

7—(1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी कार्य के लिए जो इस अधिनियम या उसके अधीन निर्गत किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।

(2) राज्य सरकार के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य से जो इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किया जाना आशयित हो या किया गया समझा जाय, उत्पन्न या सम्भावित किसी क्षतिपूर्ति के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

निरसन तथा अपवाद

8—(1) उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी, मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

अनुसूची

आगरा मण्डल

1—आगरा	..	1—सरस्वती विद्या मन्दिर इन्टर कालेज, आगरा।
		2—सरस्वती शिशु मन्दिर, सुभाष पार्क, रकाबगंज, आगरा।
		3—सरस्वती विद्या मन्दिर, अशोक नगर, लोहामण्डी, आगरा।
		4—सरस्वती विद्या मन्दिर, कृष्ण गौशाला, शाहगंज, आगरा।
		5—सरस्वती विद्या मन्दिर, फिरोजाबाद, आगरा।
		6—सरस्वती मान्टेसरी स्कूल, विजय नगर कालोनी, आगरा।
2—अलीगढ़	..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, धुरिया बाग, अलीगढ़।
		2—सरस्वती शिशु मन्दिर, सिकन्दराराव, अलीगढ़।
3—एटा	..	1—राव महेन्द्र पाल सिंह सरस्वती शिशु मन्दिर, बिलरामगेट, कासगंज, एटा।
		2—सरस्वती शिशु मन्दिर, गंजडुंडवारा, एटा।
		3—सरस्वती शिशु मन्दिर, मरहरा गेट, एटा।
4—मैनपुरी	..	1—सरस्वती विद्या मन्दिर, स्टेशन रोड, मैनपुरी।
		2—शिशु मन्दिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय, मैनपुरी।
		3—सरस्वती शिशु मन्दिर, शिकोहाबाद, मैनपुरी।
		4—सरस्वती शिशु मन्दिर, बेवर, मैनपुरी।
5—मथुरा	..	1—शिशु मन्दिर, किशन गंगा लाल दरवाजा, मथुरा।
		2—सरस्वती शिशु मन्दिर, चीर घाट, वृन्दावन, मथुरा।
		3—सरस्वती शिशु मन्दिर, बलदेव, मथुरा।

मेरठ मण्डल

1--मेरठ ..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, पूर्वी महावीर, मेरठ । 2--सरस्वती शिशु मन्दिर, कोठी गेट, हापुड़ । 3--सरस्वती शिशु मन्दिर, नेहरू नगर, गाजियाबाद ।
2--मुजफ्फरनगर ..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, मुजफ्फरनगर । 2--सरस्वती शिशु मन्दिर, खतौली । 3--सरस्वती शिशु मन्दिर, शामली । 4--सरस्वती शिशु मन्दिर, कस्बा जानसठ ।
3--बुलन्दशहर ..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, सिविल लाइन्स, बुलन्दशहर । 2--सरस्वती शिशु मन्दिर, स्टेशन रोड, दादरी । 3--सरस्वती शिशु मन्दिर, सिकन्दराबाद । 4--सरस्वती शिशु मन्दिर, गुलावठी । 5--विवेकानन्द बाल मन्दिर, औरंगाबाद । 6--विवेकानन्द विद्यापीठ, दनकौर, बुलन्दशहर । 7--सरस्वती बाल मन्दिर, राबूपुरा । 8--देवनागरी इन्टर कालेज, गुलावटी, बुलन्दशहर ।
4--सहारनपुर ..	1--कमला देवी बजोरिया सरस्वती शिशु मन्दिर एवं सरस्वती पूर्व माध्यमिक विद्या मंदिर, नगरपालिका कालोनी, सहारनपुर । 2--विवेकानन्द विद्या मन्दिर, कृष्णपुरा, सहारनपुर । 3--रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, रायवाला, सहारनपुर ।

इलाहाबाद मण्डल

1--इलाहाबाद ..	1--गोमती स्मारक सरस्वती शिशु मन्दिर, 314, सुभाष नगर, मम्फोर्डगंज, प्रयाग-2 । 2--सरस्वती शिशु मन्दिर, आनंदा, क्लाइव रोड, इलाहाबाद । 3--सरस्वती शिशु निकेतन, 23, कटघर, प्रयाग ।
2--इटावा ..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, पक्का तालाब, इटावा । 2--सरस्वती शिशु मन्दिर, कस्बा दिबियापुर, इटावा ।
3--फर्रुखाबाद ..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, फर्रुखाबाद । 2--सरस्वती शिशु मन्दिर, कायमगंज, फर्रुखाबाद । 3--सरस्वती शिशु मन्दिर, कन्नौज । 4--सरस्वती शिशु मन्दिर, तिरवा । 5--सरस्वती शिशु मन्दिर, छिबरामऊ । 6--विद्या मन्दिर जूनियर हाई स्कूल, कायमगंज ।
4--फतेहपुर ..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, खागा, फतेहपुर । 2--सरस्वती शिशु मन्दिर, चौक, फतेहपुर ।
5--कानपुर ..	1--महाराजा देवी सरस्वती शिशु मन्दिर, खलासी लाइन, कानपुर । 2--सनातन धर्म सरस्वती शिशु मन्दिर, कौशलपुरी, कानपुर । 3--सरस्वती शिशु मन्दिर, गोविन्दनगर, कानपुर । 4--सरस्वती शिशु मन्दिर, केशवनगर, कानपुर । 5--सरस्वती शिशु मन्दिर, जे0 के0 पुरी, जाजमऊ, कानपुर । 6--सरस्वती शिशु मन्दिर, एच0 वी0 टी0 आई0 कालोनी, कानपुर । 7--सरस्वती शिशु मन्दिर, रेल बाजार, कानपुर । 8--सरस्वती शिशु मन्दिर, झिंझक, कानपुर । 9--सरस्वती शिशु मन्दिर, पुखरायां, कानपुर । 10--दीन दयाल उपाध्याय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कानपुर । 11--राम लाला हायर सेकेन्ड्री स्कूल, रावतपुर, कानपुर । 12--श्री मुनि हिन्दू हायर सेकेन्डरी स्कूल, गोविन्दनगर, कानपुर ।

लखनऊ मण्डल

1--लखनऊ ..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, निरालानगर, लखनऊ । 2--सरस्वती शिशु मन्दिर, माडल हाउस, लखनऊ । 3--सरस्वती शिशु मन्दिर, मलिहाबाद, लखनऊ । 4--शिशु मन्दिर संस्था, गोसाईंगंज, लखनऊ ।

2--खीरी	..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, खीरी ।
		2--धर्मसभा इन्टर कालेज, लखीमपुर-खीरी ।
		3--संस्कृत पाठशाला, लखीमपुर-खीरी ।
3--सीतापुर	..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, विवेकानन्दपुरी, सीतापुर ।
		2--सरस्वती शिशु मन्दिर, महोली, सीतापुर ।
4--हरदोई	..	1--पटेल बतासो राजरानी इन्टर कालेज, तेरवा-गौसगंज, हरदोई ।
		2--भारतीय इन्टर कालेज, पाली, हरदोई ।
		झांसी मण्डल
1--झांसी		1--सरस्वती शिशु मन्दिर, झांसी ।
		2--सरस्वती शिशु मन्दिर, मऊरानीपुर, झांसी ।
2--बांदा	.	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, बांदा ।
		2--राजेन्द्र सरस्वती शिशु मन्दिर, करवी, बांदा ।
		3--सरस्वती शिशु मन्दिर, मानिकपुर, बांदा ।
		4--रामनाथ राम किशन सरस्वती शिशु मन्दिर, करवी, बांदा ।
3--हमीरपुर		1--सरस्वती शिशु मन्दिर, हमीरपुर ।
		2--सरस्वती शिशु मन्दिर, राठ, हमीरपुर ।
		3--शिशु शिक्षा सदन, महोबा, हमीरपुर ।
		4--शिशु शिक्षा निकेतन, कुरारा, हमीरपुर ।
		5--बाबा राजाराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, झलोखर, हमीरपुर ।
4--जालौन	..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, कोंच, जालौन ।
		2--सरस्वती शिशु मन्दिर, जालौन ।
		3--सरस्वती शिशु मन्दिर, उरई, जालौन ।
		4--शालिग्राम पाठक इन्टर कालेज, कोंच, जालौन ।
5--ललितपुर	..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, ललितपुर ।
		कुमायूं मण्डल
1--नैनीताल	..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, हल्द्वानी, नैनीताल ।
		2--सरस्वती शिशु मन्दिर, टनकपुर, नैनीताल ।
		3--सरस्वती शिशु मन्दिर, रामनगर, नैनीताल ।
		4--सरस्वती शिशु मन्दिर, खटीमा, नैनीताल ।
		5--सरस्वती शिशु मन्दिर, काशीपुर, नैनीताल ।
		6--सरस्वती शिशु मन्दिर, सितारगंज, नैनीताल ।
		7--सरस्वती शिशु मन्दिर, किच्छा, नैनीताल ।
		8--सरस्वती शिशु मन्दिर, रुद्रपुर, नैनीताल ।
		9--सरस्वती शिशु मन्दिर, बाजपुर, नैनीताल ।
		10--सरस्वती शिशु मन्दिर, गदरपुर, नैनीताल ।
		11--जूनियर हाई स्कूल, हल्द्वानी, नैनीताल ।
		12--जनता इन्टर कालेज, रुद्रपुर, नैनीताल ।
2--अल्मोड़ा	..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, अल्मोड़ा ।
		2--सरस्वती शिशु मन्दिर, बागेश्वर ।
		3--विवेकानन्द बाल मन्दिर, अल्मोड़ा ।
		4--विवेकानन्द बाल मन्दिर, बागेश्वर ।
		5--कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विजयपुर, पटिया, अल्मोड़ा ।
3--पिथौरागढ़	..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, पिथौरागढ़ ।
		2--सरस्वती शिशु मन्दिर, लोहाघाट, पिथौरागढ़ ।
		3--सरस्वती शिशु मन्दिर, डीडीहाट, पिथौरागढ़ ।
		4--शिशु मन्दिर, धारचूला, पिथौरागढ़ ।
		5--विवेकानन्द विद्या मन्दिर, पिथौरागढ़ ।
		गढ़वाल मण्डल
1--देहरादून	..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर स्कूल, देहरादून ।
		2--सरस्वती शिशु मन्दिर, ऋषिकेश, देहरादून ।
2--चमोली	..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, जोशीमठ, चमोली ।

3--गढ़वाल ..	1--शिशु सदन, कोटद्वारा, गढ़वाल । 2--शिशु सदन, श्रीनगर, गढ़वाल ।
4--टेहरी-गढ़वाल ..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, टिहरी ।
5--उत्तरकाशी ..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, उत्तरकाशी ।

वाराणसी मण्डल

1--वाराणसी ..	1--भारतीय शिशु मन्दिर, सिद्धगिरि बाग, वाराणसी । 2--आदर्श शिक्षा मन्दिर, भदैनी, वाराणसी । 3--निवेदित शिक्षा सदन, सिद्धगिरि बाग, वाराणसी । 4--भारतीय शिशु मन्दिर, शिवपुर, वाराणसी । 5--भारतीय शिशु मन्दिर, भदोही, वाराणसी । 6--बाल निकेतन, पूर्वी बाजार, मुगलसराय, वाराणसी । 7--भारतीय शिशुमन्दिर, राम नगर, वाराणसी । 8--भारतीय शिशु निकेतन, लंका, वाराणसी । 9--भारतीय शिशु मन्दिर, इंगलिशिया लेन, वाराणसी । 10--भारतीय विद्या मन्दिर, मडुवाडिह, वाराणसी । 11--समरथ बाल विद्यालय, गोवर्धन सराय, वाराणसी । 12--भारतीय शिशु मन्दिर, सैय्यद रजा, वाराणसी । 13--भारतीय शिक्षा मन्दिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इंगलिशिया लाइन, वाराणसी ।
2--बलिया ..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, मोहल्ला जगदीशपुर, बलिया । 2--सरस्वती शिशु मन्दिर, सिकन्दरपुर टाउन, बलिया । 3--सरस्वती शिशु मन्दिर, बेल्थरा रोड, बलिया ।
3--गाजीपुर ..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, संगलकला, रायगंज, गाजीपुर । 2--सरस्वती शिशु मन्दिर, जंगीपुर, गाजीपुर । 3--सरस्वती शिशु मन्दिर, रविन्द्रपुरी, गोराबाजार, गाजीपुर । 4--सरस्वती शिशु मन्दिर, जमनिया, गाजीपुर । 5--कामख्या बाल विद्या मंदिर, गहमर, गाजीपुर । 6--आदर्श शिशु मन्दिर, मुहम्मदाबाद, यूसुफपुर (शहीदनगर), गाजीपुर । 7--सर्वेश्वरी शिशु मन्दिर, सैदपुर, गाजीपुर । 8--आदर्श बाल विद्या निकेतन, दिलदारनगर, गाजीपुर ।
4--जौनपुर ..	1--सरोज बाल निकेतन, केराकत, जौनपुर । 2--सरस्वती शिशु मन्दिर, शाहगंज, जौनपुर । 3--विवेकानन्द शिशु मन्दिर, मड़ियाहूं, जौनपुर । 4--सरस्वती शिशु मन्दिर, मछलीशहर, जौनपुर । 5--पंडित दीन दयाल उपाध्याय सरस्वती शिशु मन्दिर, मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर । 6--सरस्वती शिशु मन्दिर, जौनपुर । 7--शिशु मन्दिर, रामपुर, जिला जौनपुर । 8--भारतीय विद्या मन्दिर, मोहल्ला खासनपुर, जौनपुर ।
5--मिर्जापुर ..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, गणेशगंज, मिर्जापुर । 2--भारतीय शिशु मन्दिर, नारघाट, मिर्जापुर । 3--शिशु शिक्षा निकेतन, ओबरा, मिर्जापुर । 4--भारतीय विद्यालय, घोरावर, मिर्जापुर । 5--माधो विद्यालय इन्टर कालेज, पुरुषोत्तमपुर, मिर्जापुर । 6--विन्ध्य विद्यापीठ, विन्ध्याचल, मिर्जापुर ।

रुहेलखण्ड मण्डल

1--बरेली ..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, पीलीभीत रोड, बरेली । 2--विवेकानन्द सरस्वती शिशु मन्दिर, कस्बा आंवला, बरेली 3--सरस्वती विद्या मन्दिर, फरीदपुर, बरेली । 4--सरस्वती विद्या मन्दिर, बरेली । 5--श्रीकृष्ण जूनियर हाई स्कूल, नवाबगंज, बरेली ।

2--बिजनौर	..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, अफजलगढ़, बिजनौर । 2--सरस्वती शिशु मन्दिर, चांदपुर, बिजनौर । 3--सरस्वती शिशु मन्दिर, नूरपुर, बिजनौर । 4--सरस्वती शिशु मन्दिर, धामपुर, बिजनौर ।
3--बदायूं	..	1--श्री राम सरस्वती शिशु मन्दिर, बदायूं । 2--दयानन्द सरस्वती शिशु मन्दिर, सहसवान, बदायूं । 3--सरस्वती शिशु मन्दिर, उझानी, बदायूं । 4--अशरफी देवी सरस्वती शिशु मन्दिर, बिसौली, बदायूं । 5--सरस्वती शिशु मन्दिर, इसलामनगर, बदायूं ।
4--पीलीभीत	..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, पीलीभीत । 2--सरस्वती शिशु मन्दिर, पूरनपुर, पीलीभीत । 3--सरस्वती शिशु मन्दिर, बीसलपुर, पीलीभीत । 4--सरस्वती शिशु मन्दिर, बिलसन्डा, पीलीभीत । 5--सनातन धर्म बांके बिहारी रामा इन्टर कालेज, पीलीभीत ।
5--रामपुर	..	सरस्वती शिशु मन्दिर, रामपुर ।
6--शाहजहांपुर	..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, शाहजहांपुर । 2--सरस्वती शिशु मन्दिर, तिलहर, शाहजहांपुर । 3--सरस्वती शिशु मन्दिर, जलालाबाद, शाहजहांपुर । 4--सरस्वती शिशु मन्दिर, खुदागंज, शाहजहांपुर । 5--लाला हरी राम विद्यालय, खुदागंज, शाहजहांपुर ।
7--मुरादाबाद	..	सरस्वती शिशु मन्दिर, चन्दौसी, मुरादाबाद ।

गोरखपुर मण्डल

1--गोरखपुर	..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, गोरखपुर । 2--सरस्वती शिशु मन्दिर, नौतनवां, गोरखपुर । 3--सरस्वती शिशु मन्दिर, सिसवा, गोरखपुर । 4--श्रीमती सुदामा देवी सरस्वती शिशु मन्दिर, बड़हलगंज, गोरखपुर । 5--गोपाल शिशु मन्दिर, गोला, गोरखपुर । 6--गोपाल शिशु मन्दिर, नरेन्द्र बाजार, चौरीचौरा, गोरखपुर । 7--गोपाल शिशु मन्दिर, सहजनवां, गोरखपुर ।
2--आजमगढ़	..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, आजमगढ़ । 2--सरस्वती शिशु मन्दिर, मऊ, आजमगढ़ । 3--सरस्वती शिशु मन्दिर, कोपागंज, आजमगढ़ । 4--सरस्वती शिशु मन्दिर, घोसी, आजमगढ़ । 5--सरस्वती शिशु मन्दिर, मधुबन, आजमगढ़ । 6--सरस्वती शिशु मन्दिर, दोहरीघाट, आजमगढ़ । 7--सरस्वती शिशु मन्दिर, सरायमीर, आजमगढ़ । 8--सरस्वती शिशु मन्दिर, लालगंज, आजमगढ़ । 9--सरस्वती शिशु मन्दिर, फूलपुर, आजमगढ़ । 10--बाल शिशु सदन, बरवा, आजमगढ़ ।
3--बस्ती	..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, नौगढ़, बस्ती । 2--सरस्वती शिशु मन्दिर, बांसी, बस्ती । 3--सरस्वती शिशु मन्दिर, रौता चौराहा, बस्ती । 4--सरस्वती शिशु मन्दिर, राजाबाजार, बस्ती ।
4--देवरिया	..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, तमकुही रोड, देवरिया । 2--सरस्वती शिशु मन्दिर, पडरौना, देवरिया । 3--सरस्वती शिशु मन्दिर, रामकोला, देवरिया । 4--सरस्वती शिशु मन्दिर, खड्डा, देवरिया । 5--सरस्वती शिशु मन्दिर, भटनी, देवरिया । 6--सरस्वती शिशु मन्दिर, छितौनी, देवरिया । 7--सरस्वती शिशु मन्दिर, लक्ष्मीगंज देवरिया ।

8--सरस्वती शिशु मन्दिर, तम्कुही राज, देवरिया ।
9--सरस्वती शिशु मन्दिर, बरहज, देवरिया ।
10--सरस्वती शिशु मन्दिर, इन्द्रुपुर, देवरिया ।
11--सरस्वती शिशु मन्दिर, बोदरवार, देवरिया ।
12--सरस्वती शिशु मन्दिर, लार, देवरिया ।
13--सरस्वती शिशु मन्दिर, देवरिया ।

फैजाबाद मण्डल

1--फैजाबाद	..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, हैदरगंज, फैजाबाद ।
		2--सरस्वती शिशु मन्दिर, गोसाईगंज, फैजाबाद ।
		3--सरस्वती शिशु मन्दिर, अकबरपुर, फैजाबाद ।
		4--सरस्वती शिशु मन्दिर, टांडा, फैजाबाद ।
		5--सरस्वती शिशु मन्दिर, रामनगर कालोनी, फैजाबाद ।
		6--श्री दयानन्द सरस्वती शिशु मन्दिर, जलालपुर, फैजाबाद ।
		7--अनिल सरस्वती विद्या मन्दिर, वजीरगंज, फैजाबाद ।
2--बहराइच	..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, बहराइच ।
		2--सरस्वती शिशु मन्दिर, नानपारा, बहराइच ।
		3--सरस्वती शिशु मन्दिर, भिंगा, बहराइच ।
		4--सरस्वती शिशु मन्दिर, पयागपुर, बहराइच ।
		5--सरस्वती शिशु मन्दिर, जरवल, बहराइच ।
		6--सरस्वती शिशु मन्दिर, शिवपुर, बहराइच ।
3--बाराबंकी	..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, बाराबंकी ।
		2--सरस्वती शिशु मन्दिर, फतेहपुर, बाराबंकी ।
		3--सरस्वती शिशु मन्दिर, रामसनेही घाट, सुमेरगंज, बाराबंकी ।
		4--महावीर बाल विद्या मन्दिर जूनियर हाई स्कूल, दरियाबाद, बाराबंकी ।
		5--नन्द किशोर बाल विद्या मन्दिर, रुदौली, बाराबंकी ।
		6--नन्द किशोर बालिका विद्यालय, रुदौली, बाराबंकी ।
4--गोंडा	..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, गोण्डा ।
		2--सरस्वती शिशु मन्दिर, मनकापुर रोड, गोण्डा ।
		3--बाबा गरीबदास सरस्वती शिशु मन्दिर, उतरौला, गोण्डा ।
		4--सरस्वती शिशु मन्दिर, कर्नलगंज, गोण्डा ।
		5--सरस्वती शिशु मन्दिर, बलरामपुर, गोण्डा ।
		6--सरस्वती शिशु मन्दिर, तुलसीपुर, गोण्डा ।
		7--सरस्वती शिशु मन्दिर, नवाबगंज, गोण्डा ।
5--प्रतापगढ़	..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, प्रतापगढ़ ।
		2--सरस्वती शिशु मन्दिर, पट्टी, प्रतापगढ़ ।
6--सुल्तानपुर	..	1--सरस्वती शिशु मन्दिर, सुल्तानपुर ।
		2--सरस्वती शिशु मन्दिर, मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर ।

No. 1846(2)/XVII-V-1—67-1976

Dated Lucknow, May 1, 1976

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Shiksha Sanstha (Prabhandha Hath Men Lena) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 1976), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on May 1, 1976.

THE UTTAR PRADESH EDUCATIONAL INSTITUTIONS (TAKING OVER OF MANAGEMENT) ACT, 1976

(U. P. Act no. 18 of 1976)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An

ACT

to provide for the taking over in the public interest of the management of educational institutions run directly or indirectly by unlawful organisations or by their members or sympathisers.

Whereas by the Central Government's Order no. SO-306 (E), dated July 3, 1975, the Central Government directed that rule 33 of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971, shall apply to certain organisations including the organisation known as Rashtriya Swayam Sewak Sangh;

And whereas the said organisation, namely the Rashtriya Swayam Sewak Sangh or its members or sympathisers are known to have been running, directly or indirectly, the educational institutions specified in the Schedule;

And whereas as a result of the action taken against the said organisation and persons, places and funds connected with it, the management of the said institutions was disrupted and it was apprehended that the continued running of the said educational institutions was likely to be interrupted;

And whereas with a view to maintaining the imparting of instruction in the said educational institutions in a proper manner and without being vitiated by the ideology of the said organisation, the State Government took over through its officers the management of the said educational institutions on different dates from July 1975 onwards;

And whereas the formal or informal instruction that used to be imparted in the said educational institutions, before their management was so taken over, tended to misguide the children studying therein, and to inculcate feelings of communalism in their impressionable minds, and it is apprehended that if such instruction be permitted to be continued the maintenance of harmony between different religious communities in India may be prejudiced and the process of emotional integration among them be retarded;

And whereas it is apprehended that other organisations to which the said rule 33 of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971, apply or their members or sympathisers, may also be found to run educational institutions in which the instruction imparted, formally or informally, may likewise tend to misguide the children studying therein and inculcate in their impressionable minds feelings contrary to the national objectives of secularism and emotional integration between different religious communities;

161

AND WHEREAS it is accordingly in the public interest to take over the management of the aforesaid educational institutions for a temporary period;

NOW, THEREFORE, it is hereby enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India, as follows:—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Educational Institutions (Taking over of Management) Act, 1976; — Short title, extent and commencement.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on February 28, 1976.

2. In this Act— — Definitions.

(a) "appointed date" means—

(i) in relation to an educational institution specified in the Schedule in the first instance, the date of commencement of this Act;

(ii) in relation to an educational institution specified subsequently by notification under sub-section (2) of section 3, the date of publication of such notification in the *Gazette*;

(b) "Scheduled institution" means an educational institution specified in the Schedule, being an institution which was being run, or may in future be found to be run, directly or indirectly—

(i) by the organisation known as the Rashtriya Swayam Sewak Sangh or by its members or sympathisers, whether through the society known as Shishu Shiksha Prabandh Samiti, Uttar Pradesh or through any other society or body whatsoever; or

(ii) by any other organisation to which rule 33 of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971, for the time being applies, or by its members or sympathisers.

3. (1) On and from the appointed date, the management of all scheduled institutions shall vest in the State Government for a period of one year from such date: — Management of the scheduled institutions to vest in the State Government.

Provided that the State Government may by notification extend the aforesaid period by one year or less at a time, so, however, that the total period of extension does not exceed two years in the aggregate.

(2) The State Government may by notification include in the Schedule any other educational institution in respect of which it is satisfied that it is being run, directly or indirectly, by the Rashtriya Swayam Sewak Sangh or by any other organisation to which rule 33 of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971, for the time being applies, or by their members or sympathisers, and upon the publication of such notification in the *Gazette* the Schedule shall be deemed to be amended accordingly.

(3) In the case of scheduled institutions the management of which has before the commencement of this Act been taken over by the District Inspector of Schools or any other officer in pursuance of any order issued or purporting to have been issued under the Defence and Internal Security of India Rules, 1971, such taking over shall be deemed to have been effected under the provisions of sub-section (1) and the management of such scheduled institutions shall be deemed to have vested in the State Government under this section as if this Act were in force at all material times:

Provided that the period during which the management of the institutions was so vested in the State Government prior to the twenty-eighth day of February, 1976, shall be in addition to the period of one year from such date and the maximum period of extension mentioned in sub-section (1).

(4) After the expiry of the period referred to in sub-section (1), the management of the institution concerned shall revert to the society or other body from which the management of the institution was taken over:

Provided that the State Government may before handing over the management of such institution to such body require that the members of such body shall take such steps as may be specified, including, if necessary, the reconstitu-

tion of the governing body thereof, with a view to ensuring that the instruction that would be imparted in the educational institution after such reversion would fall in line with the national objectives of secularism and emotional integration between different religious communities.

(5) For the removal of doubts it is hereby declared that no compensation or any other amount whatsoever shall be due to the society or other body owning a scheduled institution in respect of its management, remaining with the State Government for a temporary period as aforesaid in accordance with the provisions of this Act.

Power of the State Government to authorise District Inspector of Schools or any other officer to take over management of scheduled institution.

4. (1) The State Government may, by a general or special order, authorise the District Inspector of Schools or any other officer (hereinafter called the "authorised officer") to take over the management of any scheduled institution, and the officer so authorised shall, under the superintendence and directions of the State Government, carry on the management of such institution.

(2) On the issue of an order under sub-section (1) the charge of management of the scheduled institution shall vest in the authorised officer, and all persons in charge of the management of such scheduled institution immediately before the issue of such order shall cease to be in charge of such management and shall be bound to deliver to the authorised officer all assets, books of accounts, registers or other documents in their custody relating to such institution and to comply with any other direction issued by him in connection therewith :

Provided that in case the management of any scheduled institution is already with the District Inspector of Schools or any other authorised officer immediately before the commencement of this Act, it shall be deemed to have vested in such officer under this section as if this Act were in force at all material times and such officer were duly authorised by the State Government under this section.

(3) In particular, and without prejudice to the generality of the power of management referred to in sub-section (2), the authorised officer shall have powers to appoint and terminate the services of teachers and other employees, and also disciplinary powers, including power of dismissal or suspension, over the teachers and other employees of the scheduled institution, the power to manage the properties appurtenant to or endowed for the scheduled institution, the power to operate bank accounts of the scheduled institution, and the power to realise fees from the students of the scheduled institution.

Penalties.

5. If any person, after commencement of this Act—

(a) fails to deliver to the authorised officer any assets, books of account, register or any other documents in his custody relating to the scheduled institution in respect of the management of which such officer has been authorised ; or

(b) retains any property of such scheduled institution or removes or destroys it ; or

(c) fails to comply with any direction issued by the authorised officer under this Act ;

he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to two thousand rupees or with both.

Termination of appointment of teachers.

6. (1) Notwithstanding anything contained in any other law or in any contract or other instrument, if the State Government is satisfied that the continuance in service of a teacher of a scheduled institution is prejudicial to the purposes of this Act, it may, at any time, by notice, without assigning any reason, terminate his services.

(2) The period of such notice shall be three months or the period specified in the conditions of service, if any, applicable to him, whichever is less :

Provided that the services of any such teacher may be terminated, without such notice or by a shorter notice, and on such termination, the teacher shall be entitled to claim from the scheduled institution a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances, if any, for the period of notice or, as the case may be, for the period by which such notice falls short of three months, at the same rates at which he was drawing immediately before such termination

(3) The State Government may by order direct that the power conferred on it by sub-section (1) shall, in such circumstances and under such conditions, if any, as may be specified in the direction, be exercised or discharged by any officer or authority specified in this behalf.

(4) Any order of termination of services of a teacher or other employee of a scheduled institution passed or purported to be passed by an authorised officer before the commencement of this Act shall be deemed to be duly passed by him under sub-section (1) as if he were duly authorised by a direction under sub-section (2) in this behalf, and shall be deemed to be valid notwithstanding that no notice as provided in sub-section (1) or sub-section (2) was given and notwithstanding any other defect of form:

Provided that every such teacher or other employee whose services were so terminated shall be entitled to claim a sum mentioned in sub-section (2) from the scheduled institution.

Protection of action taken in good faith.

7. (1) No suit, prosecution or legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any order or direction issued thereunder.

(2) No suit or other legal proceedings shall lie against the State Government for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done or deemed to be done in pursuance of this Act.

Repeal and saving.

U.P. Ordinance 14 of 1976.

8. (1) The Uttar Pradesh Educational Institutions (Taking over of Management) Ordinance, 1976 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if this Act were inforced at all material times.

SCHEDULE

Agra Division

1. Agra
   1. Saraswati Vidya Mandir Inter College, Agra.
   2. Saraswati Shishu Mandir, Subhas Park, Rakabganj, Agra.
   3. Saraswati Vidya Mandir, Ashok Nagar, Loha Mandi, Agra.
   4. Saraswati Vidya Mandir, Krishna Gaushala, Shahganj, Agra.
   5. Saraswati Vidya Mandir, Firozabad, Agra.
   6. Saraswati Montessori School, Vijaynagar Colony, Agra.
2. Aligarh
   1. Saraswati Shishu Mandir, Ghuriyabagh, Aligarh.
   2. Saraswati Shishu Mandir, Sikandra-rao, Aligarh.
3. Etah
   1. Rao Mahendra Pal Singh Saraswati Shishu Mandir, Bilram Gate, Kasganj, Etah.
   2. Saraswati Shishu Mandir, Ganj Dundwara, Etah.
   3. Saraswati Shishu Mandir, Marhara Gate, Etah.
4. Mainpuri
   1. Saraswati Vidya Mandir, Station Road, Mainpuri.
   2. Shishu Mandir Purva Madhyamik Vidyalaya, Mainpuri.
   3. Sarswati Shishu Mandir, Shikohabad, Mainpuri.
   4. Saraswati Shishu Mandir, Bebar, Mainpuri.
5. Mathura
   1. Shishu Mandir, Kishan Ganga, Lal Darwaja, Mathura.
   2. Saraswati Shishu Mandir, Chorghat, Vrindaban, Mathura.
   3. Saraswati Shishu Mandir, Baldeo, Mathura.

Meerut Division

1. Meerut
   1. Saraswati Shishu Mandir, Purwa Mahavir, Meerut.
   2. Saraswati Shishu Mandir, Kothi Gate, Hapur.
   3. Saraswati Shishu Mandir, Nehrunagar, Ghaziabad.
2. Muzaffarnagar.
   1. Saraswati Shishu Mandir, Muzaffarnagar.
   2. Saraswati Shishu Mandir, Khatoli.
   3. Saraswati Shishu Mandir, Shamli.
   4. Saraswati Shishu Mandir, Kasba, Jansath.

3. Bulandshahr.	1.	Saraswati Shishu Mandir, Civil Lines, Bulandshahr.
	2.	Saraswati Shishu Mandir, Station Road, Dadri.
	3.	Saraswati Shishu Mandir, Sikandrabad.
	4.	Saraswati Shishu Mandir, Gulawati.
	5.	Vivekanand Balmandir, Aurangabad.
	6.	Vivekanand Vidyapith, Dankaur, Bulandshahr.
	7.	Saraswati Bal Mandir, Rabupura.
	8.	Deo Nagri Inter College, Gulawati, Bulandshahr.
4. Saharanpur	1.	Kamla Devi Bajoria Saraswati Shishu Mandir, Evam Saraswati Purva Madhyamik Vidya Mandir, Nagarpalika Colony, Saharanpur.
	2.	Vivekanand Vidya Mandir, Krishanpura, Saharanpur.
	3.	Ram Krishna Paramhansa Vidyalaya, Raiwala, Saharanpur.
		ALLAHABAD DIVISION
1. Allahabad	1.	Gomti Smarak Saraswati Shishu Mandir, 314 Subhas Nagar, Mumfordganj, Prayag-2.
	2.	Saraswati Shishu Mandir, Ananda, Clive Road, Allahabad.
	3.	Saraswati Shishu Niketan, 23, Kathghar, Prayag.
2. Etawah	1.	Saraswati Shishu Mandir, Pakkatalab, Etawah.
	2.	Saraswati Shishu Mandir, Kasba Debiapur, Etawah.
3. Farrukhabad.	1.	Saraswati Shishu Mandir, Farrukhabad.
	2.	Saraswati Shishu Mandir, Kayamganj, Farrukhabad.
	3.	Saraswati Shishu Mandir, Kannauj.
	4.	Saraswati Shishu Mandir, Tirwa.
	5.	Saraswati Shishu Mandir, Chibramau.
	6.	Vidya Mandir Junior High School, Kayamganj.
4. Fatehpur	1.	Saraswati Shishu Mandir, Khaga, Fatehpur.
	2.	Saraswati Shishu Mandir, Chowk, Fatehpur.
5. Kanpur	1.	Maharaja Devi Saraswati Shishu Mandir, Khalasi Line, Kanpur.
	2.	Sanatan Dharam Saraswati Shishu Mandir, Kaushalpuri, Kanpur.
	3.	Saraswati Shishu Mandir, Govindnagar, Kanpur.
	4.	Saraswati Shishu Mandir, Keshonagar, Kanpur.
	5.	Saraswati Shishu Mandir, J. K. Puri, Jajmau, Kanpur.
	6.	Saraswati Shishu Mandir, H. B. T. I. Colony, Kanpur.
	7.	Saraswati Shishu Mandir, Railbazar, Kanpur.
	8.	Saraswati Shishu Mandir, Jhinjhak, Kanpur.
	9.	Saraswati Shishu Mandir, Pukhrayan, Kanpur.
	10.	Deen Dayal Upadhyay Higher Secondary School, Kanpur.
	11.	Ram Lala Higher Secondary School, Rawatpur, Kanpur.
	12.	Sri Muni Hindu Higher Secondary School, Govindnagar, Kanpur.
		LUCKNOW DIVISION
1. Lucknow	1.	Saraswati Shishu Mandir, Niralanagar, Lucknow.
	2.	Saraswati Shishu Mandir, Model House, Lucknow.
	3.	Saraswati Shishu Mandir, Malihabad, Lucknow.
	4.	Shishu Mandir Sanstha, Gosainganj, Lucknow.
2. Kheri	1.	Saraswati Shishu Mandir, Kheri.
	2.	Dharam Sabha Inter College, Lakhimpur-Kheri.
	3.	Sanskrit Pathshala, Lakhimpur-Kheri.
3. Sitapur	1.	Saraswati Shishu Mandir, Vivekanandpuri, Sitapur.
	2.	Saraswati Shishu Mandir, Maholi, Sitapur.
4. Hardoi	1.	Patel Bataso Rajrani Inter College, Terwa, Gausganj, Hardoi.
	2.	Bhartiya Inter College, Pali, Hardoi.
		JHANSI DIVISION
1. Jhansi	1.	Saraswati Shishu Mandir, Jhansi.
	2.	Saraswati Shishu Mandir, Mauranipur, Jhansi.
2. Banda	1.	Saraswati Shishu Mandir, Banda.
	2.	Rajendra Saraswati Shishu Mandir, Karvi, Banda.
	3.	Saraswati Shishu Mandir, Manikpur, Banda.
	4.	Ramnath Ram Krishna Saraswati Shishu Mandir, Karvi, Banda.

3. Hamirpur

1. Saraswati Shishu Mandir, Hamirpur.
2. Saraswati Shishu Mandir, Rath, Hamirpur.
3. Shishu Shiksha Sadan, Mahoba, Hamirpur.
4. Shishu Shiksha Niketan, Kurara, Hamirpur.
5. Baba Raja Ram Higher Secondary School, Jhalokar, Hamirpur.

4. Jalaun

1. Saraswati Shishu Mandir, Konch, Jalaun.
2. Saraswati Shishu Mandir, Jalaun.
3. Saraswati Shishu Mandir, Orai, Jalaun.
4. Salig Ram Pathak Inter College, Konch, Jalaun.

5. Lalitpur

1. Saraswati Shishu Mandir, Lalitpur.

KUMAUN DIVISION

1. Naini Tal

1. Saraswati Shishu Mandir, Haldwani, Naini Tal.
2. Saraswati Shishu Mandir, Tanakpur, Naini Tal.
3. Saraswati Shishu Mandir, Ramnagar, Naini Tal.
4. Saraswati Shishu Mandir, Khatima, Naini Tal.
5. Saraswati Shishu Mandir, Kashipur, Naini Tal.
6. Saraswati Shishu Mandir Sitarganj, Naini Tal.
7. Saraswati Shishu Mandir, Kitcha, Naini Tal.
8. Saraswati Shishu Mandir, Rudrapur, Naini Tal.
9. Saraswati Shishu Mandir, Bazpur, Naini Tal.
10. Saraswati Shishu Mandir, Gadarpur, Naini Tal.
11. Junior High School, Haldwani, Naini Tal.
12. Janta Inter College, Rudrapur, Naini Tal.

2. Almora

1. Saraswati Shishu Mandir, Almora.
2. Saraswati Shishu Mandir, Bageshwar.
3. Vivekanand Bal Mandir, Almora.
4. Vivekanand Bal Mandir, Bageshwar.
5. Krishi Uchchtar Madhyamik Vidyalaya, Vijaypur Patiya, Almora.

3. Pithoragarh.

1. Saraswati Shishu Mandir, Pithoragarh.
2. Saraswati Shishu Mandir, Lohaghat, Pithoragarh.
3. Saraswati Shishu Mandir, Didihat, Pithoragarh.
4. Shishu Mandir, Dharchula, Pithoragarh.
5. Vivekanand Vidya Mandir, Pithoragarh.

GARHWAL DIVISION

1. Dehra Dun

1. Saraswati Shishu Mandir School, Dehra Dun.
2. Saraswati Shishu Mandir School, Rishikesh, Dehra Dun.

2. Chamoli

1. Saraswati Shishu Mandir, Joshimath, Chamoli.

3. Garhwal

1. Shishu Sadan, Kotdwar, Garhwal.
2. Shishu Sadan, Shrinagar, Garhwal.

4. Tehri-Garhwal

1. Saraswati Shishu Mandir, Tehri.

5. Uttarkashi

1. Saraswati Shishu Mandir, Uttarkashi.

VARANASI DIVISION

1. Varanasi

1. Bhartiya Shishu Mandir, Shidhgiri Bagh, Varanasi.
2. Adarsh Shiksha Mandir, Bhadeni, Varanasi.
3. Nivedit Shiksha Sadan, Shidhgiri Bagh, Varanasi.
4. Bhartiya Shishu Mandir, Shivpur, Varanasi.
5. Bhartiya Shishu Mandir. Bhadohi, Varanasi.
6. Bal Niketan, Purvi Bazar, Mughalsarai, Varanasi.
7. Bhartiya Shishu Mandir, Ram Nagar, Varanasi.
8. Bhartiya Shishu Niketan, Lanka, Varanasi.
9. Bhartiya Shishu Mandir, Englishiya Lane, Varanasi.
10. Bharti Vidya Mandir, Mulwadih, Varanasi.
11. Samarth Bal Vidyalaya, Gobardhan Sarai, Varanasi.
12. Bhartiya Shishu Mandir, Sayid Raja, Varanasi.
13. Bhartiya Shiksha Mandir Uchchtar Madhyamik Vidyalaya, Englishya Line, Varanasi.

District	Institutions
2. Ballia	1. Saraswati Shishu Mandir, Mohalla Jagdishpur, Ballia. 2. Saraswati Shishu Mandir, Sikendrapur Town, Ballia. 3. Saraswati Shishu Mandir, Bilthara Road, Ballia.
3. Ghazipur	1. Saraswati Shishu Mandir, Sangat Kala Raiganj, Ghazipur. 2. Saraswati Shishu Mandir, Jangipur, Ghazipur. 3. Saraswati Shishu Mandir, Ravindrapuri, Gorabazar, Ghazipur. 4. Saraswati Shishu Mandir, Jamaniya, Ghazipur. 5. Kamakhya Bal Vidya Mandir, Gahmar, Ghazipur. 6. Adarsh Shishu Mandir, Mohammadabad, Yusufpur, (Shaheednagar), Ghazipur. 7. Saraswati Shishu Mandir, Saidpur, Ghazipur. 8. Adarsh Bal Vidya Niketan, Dildarnagar, Ghazipur.
4. Jaunpur	1. Saroj Bal Niketan, Kerakat, Jaunpur. 2. Saraswati Shishu Mandir, Shahganj, Jaunpur. 3. Vivekanand Shishu Mandir, Madiyahoo, Jaunpur. 4. Saraswati Shishu Mandir, Machalishahr, Jaunpur. 5. Pandit Din Dayal Upadhyaya Saraswati Shishu Mandir, Mungra, Badshahpur, Jaunpur. 6. Saraswati Shishu Mandir, Jaunpur. 7. Shishu Mandir, Rampur, District Jaunpur. 8. Bhartiya Vidya Mandir, Mohalla Khasanpur, Jaunpur.
5. Mirzapur	1. Saraswati Shishu Mandir, Ganeshganj, Mirzapur. 2. Bhartiya Shishu Mandir, Narghat, Mirzapur. 3. Shishu Shiksha Niketan, Obra, Mirzapur. 4. Bhartiya Vidyalaya, Gorawar, Mirzapur. 5. Madho Vidyalaya Inter College, Pursottampur, Mirzapur. 6. Vind Vidyapith, Vindhayachal, Mirzapur.

ROHILKHAND DIVISION

District	Institutions
1. Bareilly	1. Saraswati Shishu Mandir, Pilibhit Road, Bareilly. 2. Vivekanand Saraswati Shishu Mandir, Kasba Aoanla, Bareilly. 3. Saraswati Vidya Mandir, Faridpur, Bareilly. 4. Saraswati Vidya Mandir, Bareilly. 5. Srikrishna Junior High School, Nawabganj, Bareilly.
2. Bijnor	1. Saraswati Shishu Mandir, Afjalgarh, Bijnor. 2. Saraswati Shishu Mandir, Chandpur, Bijnor. 3. Saraswati Shishu Mandir, Noorpur, Bijnor. 4. Saraswati Shishu Mandir, Dhampur, Bijnor.
3. Badaun	1. Sri Ram Saraswati Shishu Mandir, Badaun. 2. Dayanand Saraswati Shishu Mandir, Sahaswan, Badaun. 3. Saraswati Shishu Mandir, Ujhani, Badaun. 4. Asharfidevi Saraswati Shishu Mandir, Bisauli, Badaun. 5. Saraswati Shishu Mandir, Islamnagar, Badaun.
4 Pilibhit	1. Saraswati Shishu Mandir, Pilibhit. 2. Saraswati Shishu Mandir, Puranpur, Pilibhit. 3. Saraswati Shishu Mandir, Bisalpur, Pilibhit. 4. Saraswati Shishu Mandir, Bilsanda, Pilibhit. 5. Sanatan Dharam Bankey Bihari Rama Inter College, Pilibhit.
5. Rampur	1. Saraswati Shishu Mandir, Rampur.
6. Shahjahanpur.	1. Saraswati Shishu Mandir, Shahjahanpur. 2. Saraswati Shishu Mandir, Tilhar, Shahjahanpur. 3. Saraswati Shishu Mandir, Jalalabad, Shahjahanpur. 4. Saraswati Shishu Mandir, Khudaganj, Shahjahanpur. 5. Lala Hari Ram Vidyalaya, Khudaganj, Shahjahanpur.
7. Moradabad	1. Saraswati Shishu Mandir, Chandausi, Moradabad.

GORAKHPUR DIVISION

District	Institutions
1 Gorakhpur	1. Saraswati Shishu Mandir, Gorakhpur. 2. Saraswati Shishu Mandir, Nautanwa, Gorakhpur. 3. Saraswati Shishu Mandir, Siswa, Gorakhpur. 4. Smt. Sudama Devi Saraswati Shishu Mandir, Barhalganj, Gorakhpur. 5. Gopal Shishu Mandir, Gola, Gorakhpur. 6. Gopal Shishu Mandir, Narendra Bazar, Chauri Chaura, Gorakhpur. 7. Gopal Shishu Mandir, Sahjanwa, Gorakhpur.

2. Azamgarh	1.	Saraswati Shishu Mandir, Azamgarh.
	2.	Saraswati Shishu Mandir, Mau, Azamgarh.
	3.	Saraswati Shishu Mandir, Kopaganj, Azamgarh.
	4.	Saraswati Shishu Mandir, Ghosi, Azamgarh.
	5.	Saraswati Shishu Mandir, Madhuban, Azamgarh.
	6.	Saraswati Shishu Mandir, Dohrighat, Azamgarh.
	7.	Saraswati Shishu Mandir, Sarai Mir, Azamgarh.
	8.	Saraswati Shishu Mandir, Lalganj, Azamgarh.
	9.	Saraswati Shishu Mandir, Phoolpur, Azamgarh.
	10.	Bal Shishu Sadan, Burwa, Azamgarh.
3. Basti	1.	Saraswati Shishu Mandir, Naugarh, Basti.
	2.	Saraswati Shishu Mandir, Bansi, Basti.
	3.	Saraswati Shishu Mandir, Rohta Chauraha, Basti.
	4.	Saraswati Shishu Mandir, Razabazar, Basti.
4. Deoria	1.	Saraswati Shishu Mandir, Tamkuhi Road, Deoria.
	2.	Saraswati Shishu Mandir, Padrauna, Deoria.
	3.	Saraswati Shishu Mandir, Ram Kola, Deoria.
	4.	Saraswati Shishu Mandir, Khadda, Deoria.
	5.	Saraswati Shishu Mandir, Bhatni, Deoria.
	6.	Saraswati Shishu Mandir, Chhitauni, Deoria.
	7.	Saraswati Shishu Mandir, Lakshmiganj, Deoria.
	8.	Saraswati Shishu Mandir, Tamkuhi Raj, Deoria.
	9.	Saraswati Shishu Mandir, Barhaj, Deoria.
	10.	Saraswati Shishu Mandir, Indupur, Deoria.
	11.	Saraswati Shishu Mandir, Bodarwar, Deoria.
	12.	Saraswati Shishu Mandir, Lar, Deoria.
	13.	Saraswati Shishu Mandir, Deoria.

FAIZABAD DIVISION

1. Faizabad	1.	Saraswati Shishu Mandir, Haiderganj, Faizabad.
	2.	Saraswati Shishu Mandir, Gosainganj, Faizabad.
	3.	Saraswati Shishu Mandir, Akbarpur, Faizabad.
	4.	Saraswati Shishu Mandir, Tanda, Faizabad.
	5.	Saraswati Shishu Mandir, Ramnagar Colony, Faizabad.
	6.	Sri Daya Nand Saraswati Shishu Mandir, Jalalpur, Faizabad.
	7.	Anil Saraswati Vidya Mandir, Wazirganj, Faizabad.
2. Bahraich	1.	Saraswati Shishu Mandir, Bahraich.
	2.	Saraswati Shishu Mandir, Nanpara, Bahraich.
	3.	Saraswati Shishu Mandir, Bhinga, Bahraich.
	4.	Saraswati Shishu Mandir, Payagpur, Bahraich.
	5.	Saraswati Shishu Mandir, Jarwal, Bahraich.
	6.	Saraswati Shishu Mandir, Shivpur, Bahraich.
3. Bara Banki	1.	Saraswati Shishu Mandir, Bara Banki.
	2.	Saraswati Shishu Mandir, Fatehpur, Bara Banki.
	3.	Saraswati Shishu Mandir, Ramsanehighat, Sumerganj, Bara Banki.
	4.	Mahavir Bal Vidyamandir Junior High School, Dariyabad, Bara Banki.
	5.	Nand Kishore Bal Vidyamandir, Rudauli, Bara Banki.
	6.	Nand Kishore Balika Vidyalaya, Rudauli, Bara Banki.
4. Gonda	1.	Saraswati Shishu Mandir, Gonda.
	2.	Saraswati Shishu Mandir, Mankapur Road, Gonda.
	3.	Baba Garibdas Saraswati Shishu Mandir, Utraula, Gonda.
	4.	Saraswati Shishu Mandir, Colonelganj, Gonda.
	5.	Saraswati Shishu Mandir, Balrampur, Gonda.
	6.	Saraswati Shishu Mandir, Tulsipur, Gonda.
	7.	Saraswati Shishu Mandir, Nawabganj, Gonda.
5. Pratapgarh	1.	Saraswati Shishu Mandir, Pratapgarh.
	2.	Saraswati Shishu Mandir, Patti, Pratapgarh.
6. Sultanpur	1.	Saraswati Shishu Mandir, Sultanpur.
	2.	Saraswati Shishu Mandir, Musafirkhana, Sultanpur.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,
सचिव ।

पी0 एस0 यू0 पी0--ए0 पी0 50 सा0(विद्या0)-1976-700 (मे0)